

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 125/2018

दायर दिनांक 23.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. असलम पुत्र मोहम्मद, जाति-मुसलमान देशवाली, निवासी-बालिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. रमजानी पुत्र अब्दुल हकीम, 2. बुन्दु पुत्र अब्दुल हकीम, 3. मजीद पुत्र अब्दुल हकीम, 4. रहमतअली पुत्र अब्दुल हकीम, 5. मुन्शी पुत्र अब्दुल हकीम, 6. मोहम्मद हुसेन पुत्र अब्दुल हकीम, 7. अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल हकीम, 07/01 जरीना पत्नी स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-40साल, 07/02 अफसाना पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-25साल, 07/03 रूकसाना पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-23साल, 07/04 आरिफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-27साल, 07/05 आसिफखान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-22साल, 07/06 अजरुदीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-16साल, 07/07 लतीफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-14साल, 8. अयूब पुत्र अब्दुल हकीम, 9. जेबुना पुत्री अब्दुल हकीम, 10. बाना पुत्री अब्दुल हकीम, 11. हनीफ पुत्र जमाल, 12. अब्दुल सलाम पुत्र जमाल, 13. अब्दुल हफीज पुत्र जमाल

बनाम्

2-2  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

	<p>14. आसिया पत्नी जमाल,  15. मास्यल्ला पुत्री जमाल,  16. हफीजन पुत्री जमाल,  17. सलमा पुत्री जमाल,  18. गफार पुत्र सदीक,  19. बसीरन पुत्री सदीक,  20. जरीना पुत्री सदीक,  21. राविया पुत्री सदीक,  22. हबीब पुत्र मोहम्मद,  23. असरफ पुत्र मोहम्मद,  24. नसीबन पत्नी मोहम्मद,  समस्त, जाति-देशवाली,  निवासी-बालिया,  तहसील-डीडवाना,  जिला-नागौर, राजस्थान,  25. तहसीलदार डीडवाना,  जिला-नागौर, राजस्थान।</p>
--	---

दावा बाबत  
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 29.10.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24 एक ही पूर्वज दीना देशवाली निवासी बालिया के जायज वारिश व उत्तराधिकारीगण हैं।

सरहद बालिया में खसरा नम्बर 111 रकबा 01.03 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 112 रकबा 01.05 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 113 रकबा 15.08 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 129 रकबा 04.01 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 130 रकबा 04.08 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 138 रकबा 07.08 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 रकबा 05.18 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 502 रकबा 07.11 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 503 रकबा 06.13 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 505 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 535 रकबा 14.18 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 647 रकबा 08.04 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 852 रकबा 14.11 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 862 रकबा 16.17 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.08 बीघा भूमि, कुल रकबा 123.03 बीघा भूमि अवस्थित है।

उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच मौखिक बन्त हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान् निम्न प्रकार काबिजकाश्त है:-

2  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

1. खसरा नम्बर 535 रकबा 14.18 बीघा भूमि में से रकबा 11.18 बीघा पूर्वी हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 के बन्ट में व रकबा 01.07 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के बन्ट में व रकबा 01.07 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 के बन्ट में है तथा रकबा 0.06 बीघा रास्ता हेतु रखी गयी है।
2. खसरा नम्बर 505 रकबा 14.10 बीघा भूमि में से रकबा 07.05 बीघा उत्तरी दिशा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 के बन्ट में तथा रकबा 07.05 बीघा दक्षिणी दिशा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के बन्ट में है।
3. खसरा नम्बर 138 रकबा 07.08 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 139 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 के बन्ट में है।
4. खसरा नम्बर 111 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 129 रकबा 04.01 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 862 रकबा 16.17 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के बन्ट में है।
5. खसरा नम्बर 113 रकबा 15.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 502 रकबा 07.11 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 08.04 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 के बन्ट में है।
6. खसरा नम्बर 112 रकबा 01.05 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 130 रकबा 04.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 503 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 909 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 852 रकबा 14.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 के बन्ट में है।

उपर्युक्त जायगा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं होने से सहखातेदारान् वादी को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकियाँ देने लगे हैं जिस कारण से दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

वादी अपने वाद के जरिये राज्य सरकार से किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाहता है इसलिए तहसीलदार डीडवाना को दो माह की अवधि का नोटिस नहीं दिया गया है मगर लैण्ड होल्डर होने की वजह से प्रतिवादी बतौर पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को पैतृक कब्जाकाशत की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद बालिया की वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" कर निम्नानुसार मौखिक बन्ट मुताबिक खातेदारी घोषित की जावे:-

1. खसरा नम्बर 535 रकबा 14.18 बीघा भूमि में से रकबा 11.18 बीघा पूर्वी हिस्सा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को खातेदार घोषित किया जावे तथा रकबा 0.06 बीघा भूमि रास्ता हेतु रखी जावे।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

2. खसरा नम्बर 505 रकबा 14.10 बीघा भूमि में से रकबा 07.05 बीघा उत्तरी दिशा की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को तथा रकबा 07.05 बीघा दक्षिणी दिशा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को खातेदार घोषित किया जावे।
3. खसरा नम्बर 138 रकबा 07.08 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 139 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को खातेदार घोषित किया जावे।
4. खसरा नम्बर 111 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 129 रकबा 04.01 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 862 रकबा 16.17 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को खातेदार घोषित किया जावे।
5. खसरा नम्बर 113 रकबा 15.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 502 रकबा 07.11 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 08.04 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 को खातेदार घोषित किया जावे।
6. खसरा नम्बर 112 रकबा 01.05 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 130 रकबा 04.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 503 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 909 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 852 रकबा 14.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04, 07/01 ता 07/07, 09, 10, 12 ता 17, 19 ता 21 व 25 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05, 06, 08, 11, 18, 22, 23 व 24 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावा अनुसार दावा डिक्री किया जाने की सहमति प्रकट की व आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर दर्ज किये।

प्रतिवादी संख्या 07 अब्दुल रहमान का स्वर्गवास हो चुका है जिनके सम्बन्ध आवेदन बाबत् कायम मुकाम का पेश हुआ जो नियमानुसार स्वीकार होकर शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 07/01 ता 07/07, बतौर वारिसान् रिकॉर्ड पर लिये गये।

वादी असलम ने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया, जो नियमानुसार शामिल मिसल किया गया।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ-पत्र, जमाबन्दी ग्राम बालिया सम्बत् 2066-2069 खेवट संख्या 199/174 की प्रतिलिपि पेश की है।

  
**सहायक कलेक्टर**  
**डोडवाना (नागौर)**

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पक्षकारान् दावानुसार, दावा डिक्री किया जाने की अपनी-अपनी सहमति दे रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।


वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05, 06, 08, 11, 18, 22, 23 व 24 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावा डिक्री किया जाने में अपनी-अपनी सहमति दी है व शेष प्रतिवादीगण हाजिर नहीं है। दावा बन्टवारा से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में, दावा अनुतोष अनुरूप, दावा डिक्री किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

### आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद बालिया के वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 535 रकबा 14.18 बीघा भूमि में से रकबा 11.18 बीघा पूर्वी भाग का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि रकबा 0.06 बीघा को गैरमुमकिन रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।
2. खसरा नम्बर 505 रकबा 14.10 बीघा भूमि में से रकबा 07.05 बीघा उत्तरी भाग की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को तथा रकबा 07.05 बीघा दक्षिणी भाग की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 138 रकबा 07.08 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 139 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 111 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 129 रकबा 04.01 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 862 रकबा 16.17 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 113 रकबा 15.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 502 रकबा 07.11 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 08.04 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

6. खसरा नम्बर 112 रकबा 01.05 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 130 रकबा 04.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 503 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 909 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 852 रकबा 14.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे, एक-दूसरे के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी न नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 125/2018

दायर दिनांक 23.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. असलम पुत्र मोहम्मद, जाति-मुसलमान देशवाली, निवासी-बालिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. रमजानी पुत्र अब्दुल हकीम, 2. बुन्दु पुत्र अब्दुल हकीम, 3. मजीद पुत्र अब्दुल हकीम, 4. रहमतअली पुत्र अब्दुल हकीम, 5. मुन्शी पुत्र अब्दुल हकीम, 6. मोहम्मद हुसेन पुत्र अब्दुल हकीम, 7. अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल हकीम, 07/01 जरीना पत्नी स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-40साल, 07/02 अफसाना पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-25साल, 07/03 रुकसाना पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-23साल, 07/04 आरिफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-27साल, 07/05 आसिफखान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-22साल, 07/06 अजहरुदीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-16साल, 07/07 लतीफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र-14साल, 8. अयूब पुत्र अब्दुल हकीम, 9. जेबुना पुत्री अब्दुल हकीम, 10. बाना पुत्री अब्दुल हकीम, 11. हनीफ पुत्र जमाल, 12. अब्दुल सलाम पुत्र जमाल, 13. अब्दुल हफीज पुत्र जमाल,

बनाम्

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

	14. आसिया पत्नी जमाल, 15. मास्याल्ला पुत्री जमाल, 16. हफीजन पुत्री जमाल, 17. सलमा पुत्री जमाल, 18. गफार पुत्र सदीक, 19. वसीरन पुत्री सदीक, 20. जरीना पुत्री सदीक, 21. राविया पुत्री सदीक, 22. हबीब पुत्र मोहम्मद, 23. असरफ पुत्र मोहम्मद, 24. नसीबन पत्नी मोहम्मद, समस्त, जाति-देशवाली, निवासी-वालिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 25. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	---

दावा बाबत  
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

दिनांक 29.10.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद वालिया के वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. खसरान् नम्बर 535 रकबा 14.18 बीघा भूमि में से रकबा 11.18 बीघा पूर्वी भाग का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को व रकबा 01.07 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि रकबा 0.06 बीघा को गैरमुमकिन रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।
2. खसरान् नम्बर 505 रकबा 14.10 बीघा भूमि में से रकबा 07.05 बीघा उत्तरी भाग की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को तथा रकबा 07.05 बीघा दक्षिणी भाग की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरान् नम्बर 138 रकबा 07.08 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरान् नम्बर 139 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरान् नम्बर 111 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण व खसरान् नम्बर 129 रकबा 04.01 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरान् नम्बर 862 रकबा 16.17 बीघा

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. खसरा नम्बर 113 रकबा 15.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 502 रकबा 07.11 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 08.04 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. खसरा नम्बर 112 रकबा 01.05 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 130 रकबा 04.08 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 503 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 909 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 852 रकबा 14.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे, एक-दूसरे के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी न नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
 .....-.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.10.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-125-2018 / रीडर / 2018 / 35/

दिनांक 6/11/18

प्रेषित:-

तहसीलदार  
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत  
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. असलम पुत्र मोहम्मद, जाति-मुसलमान देशवाली, निवासी-बालिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. रमजानी पुत्र अब्दुल हकीम, जाति-देशवाली, निवासी-बालिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगौर।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना